

2019/00256

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 234/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि) कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल बी एस कालेज के सामने, तिलक  
नगर जयपुर शाखा कार्यालय चौमू जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश चन्द्र कुमावत पुत्र श्री लालाराम कुमावत
2. लालाराम कुमावत पुत्र श्री दुलाराम कुमावत
3. श्रीमती भगती देवी पत्नी श्री लालाराम कुमावत
4. जयराम कुमावत पुत्र श्री छोटूराम कुमावत

निवासी नेमीवालों की ढाणी, ग्राम भादवा, रेनवाल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री महेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 17-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी लालाराम कुमावत के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 01, ग्राम भादवा वार्ड नं. 11, तहसील फुलेरा जिला जयपुर क्षेत्रफल 52.77 वर्गगज एवं प्लॉट नं. 2 नेमीवालों की ढाणी, ग्राम भादवा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर क्षेत्रफल 24.44 वर्गगज को बन्धक रख कर 10,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किये गये। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर, 2018 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.06.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थी ऋणी की धारा 13 (2) का नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग की डिलीवर्ड/ट्रैकिंग रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी लालाराम कुमावत के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 01, ग्राम भादवा वार्ड नं. 11, तहसील फुलेरा जिला जयपुर क्षेत्रफल 52.77 वर्गगज एवं प्लॉट नं. 2 नेमीवालों की ढाणी, ग्राम भादवा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर क्षेत्रफल 24.44 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
7. आदेश आज दिनांक 17-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर